न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00241 (91/2012) 75 एलआरएक्ट

कालासिंह पुत्र करतार सिह जाति रायसिख निवासीचक 4 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (राज0)

.– अपीलान्ट

बनाम

1. सुमित्रा (पुत्र स्व0 श्रीमति आसी देवी धर्म पत्नी श्री बलूराम) पत्नी स्व श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। 8
2. कौशल्या (पुत्री स्व0 श्रीमति आसी देवी धर्मपत्नी श्री बलूराम) पत्नी स्व0 श्री दयाराम जाति जाट निवासी ढाणी शेरेवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर
3. कंवर सैन पुत्र स्व0 श्रीमती दाखी देवी पत्नी स्व दलीप सिह जाति जाट निवासी वरयाम खेड़ा तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)
4. शकुन्तला पुत्री स्व श्रीमति दाखी देवी धर्मपत्नी श्री जगदीश सहारण जाति जाट निवासी रामकोट तहसील फाजिल्का जिला फिराजपुर (पंजाब)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्स

6. कलवन्त सिंह
7. रेशम सिह

} पि0 करतार सिंह अकवाम रायसिख निवासीयान चक 4 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

8. लक्ष्मी बाई
9. पाशो बाई

} पुत्रीयागण करतार सिंह अकवाम रायसिख निवासीयान चक 4 एस.एच.पी.डी. तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

10. नानको बाई पुत्री जगदीश जाति रायसिख निवासी चक 4 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। –तरतीबी रेस्पोडैन्टस

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.10.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र. सं. 33/2010 बअनवानी श्रीमति सुमित्रा आदि बनाम स्टेट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री लालचन्द्र वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता
श्री अशोक बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6 ता 10

निर्णय दिनांक – 15.01.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि आसी देवी पत्नी पालू के पास वाद में वर्णित चक 4 केएच.आर तहसील टिब्बी में कुल 4.556 भूमि हिन्दुस्तान पाकिस्तान बनने से पूर्व चला आ रहा था लेकिन गलती से उपरोक्त रकबा राष्ट्रपति भारत सरकार का घोषित कर दिया था। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 4 ने प्रार्थना–पत्र में यह अंकित करते हुए कि आसी देवी ने एक प्रार्थना–पुनर्वास विभाग, श्रीगंगानगर के समक्ष भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 08.07.1959 को पेश किया जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.03.1983 को उपरोक्त रकबा आसी देवी को आवंटन करने का आदेश तथा आसी को चार माह के अन्दर रकम जमा करवाने का आदेश दिया जिस पर आसी द्वारा प्रश्नगत राशि दिनांक 28.07.1983 को जमा करवा दी व उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में श्रीमती आसी देवी के नाम अमल दरामद करने के आदेश हुए लेकिन इसी दौरान उक्त राशि जो चार माह की अवधि में जमा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नहीं हुई थी का इन्द्राज कैश बुक में जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.09.83 से इन्कार कर दिया। आसी देवी ने दिनांक 30.09.83 के विरूद्ध सैटलमैन्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 29.05.84 को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध चीफ सैटलमैण्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 23.09.85 को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त सभी आदेशों की चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधीपुर के समक्ष रिट याचिका सं0 2516/85 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका में दिनांक 24.8.95 को निर्णय पारित हुआ तथा श्रीमति आसीदेवी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 को बहाल रखा गया।

2. प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायलाय के निर्णय के उपरान्त जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तु किया लकिन जिला बनने एवं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम सन् 1954 निरस्त होने व अब राजस्थान सरकार के राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 6.10.2009 प्रभावशील होने पर आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 की पालना में राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी पैरोकार राज ने प्रश्नगत भमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम सही तौर पर दर्ज हुई होना कहा तथा आदेश दिनांक 23.03.83 अंतिम आदेश नहीं होना बताया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।

4. **उभयपक्ष की बहस सुनी गई।**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध तथा अनुचित है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी में उक्त भूमि अपीलाण्ट के पिता करतार सिह के नाम दर्ज थी लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने राजस्व अभिलेख में दर्ज करतार सिह को कोई नोटिस जारी किये बिना उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 4 को शुरू से ही ज्ञान रहा है कि करतार सिह की मृत्यु दिनांक 20.4.1989 को हो चुकी है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ता 10 उसके जायज व कानूनी वारिस हैं लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 ने जानूझकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 ता 10 को पक्षकार बनाये बिना व इनको कोई सूचना नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश जारी करने से पूर्व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 4 ता 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 ने अभिकथित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 04.08.195 के निर्णय की कोई प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की तहम भी करतारसिंह की मृत्यु दिनांक 20.04.1989 को हो चुकी थी तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 ने अभिकथित आदेश दिनांक 04.08.1995 का है जो मृतक व्यक्ति के विरूद्ध है कानूनन मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश अकृत है। इस आधार पर भी आदेश खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व निष्क्रान्त भूम स्थाई नियम 1963 की धारा 6 (3), 6 (4) के तहत प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायलाय ने उक्त प्रार्थना–पत्र को अपनी प्रथम फर्द अहकाम में अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद होना मानकर व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दर्ज कर आगामी कार्यवाही प्रारम्भ की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को वादपत्र के रूप में ट्रीट करते हुए जब आगामी कार्यवाही की गई तो रेस्पोडेण्ट संख्या 5 का जवाब प्रस्तुत होने के बाद उक्त पत्रावली में विवाद्यक विरचित कर साक्ष्य लेनी चाहिए थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवाद्यक विरचित किये व साक्ष्य लिये आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्तनीय है।

6. ताहमभी यदि उक्त प्रार्थना–पत्र को अन्तर्गत निष्क्रान्त कृषि भूमि स्थायी नियम 1963 की धारा 6(3), 6 (4) के अन्तर्गत ट्रीट किया जाता है तो प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट के पिता के नाम दर्ज भी, अपीलाण्ट अथवा अपीलाण्ट के पिता द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 अथवा उनकी माता के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया गया तथा निष्क्रान्त कृषि स्थायी नियम 1963 के अन्तर्गत उसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं जिनका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हो अथवा उसने अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण कर दिया हो। हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं0 1 ता 4 को खातेदारी प्रदान करने की किसी प्रकार की अधिकारिता नही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य हैं। इसलिए अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है और बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी निकलवाने के लिए दिनांक 04.11.2012 को पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को जाहिर कियाकि प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी होने के आदेश रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 के पक्ष में हो चुके हैं तथा उक्त आदेश के आधार पर जल्द ही रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करेगा, जिस पर अपीलाण्ट ने

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि आसी दवी पत्नी पालू के पास वाद में वर्णित चक 4 केएच.आर तहसील टिब्बी में कुल 4.556 भूमि हिन्दुस्तान पाकिस्तान बनने से पूर्व चला आ रहा था लेकिन गलती से उपरोक्त रकबा राष्ट्रपति भारत सरकार का घोषित कर दिया था। रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 4 ने प्रार्थना–पत्र में यह अंकित करते हुए कि आसी देवी ने एक प्रार्थना–पुनर्वास विभाग, श्रीगंगानगर के समक्ष भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 08.07.1959 को पेश किया जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.03.1983 को उपरोक्त रकबा आसी देवी को आवंटन करने का आदेश तथा आसी को चार माह के अन्दर रकम जमा करवाने का आदेश दिया जिस पर आसी द्वारा प्रश्नगत राशि दिनांक 28.07.1983 को जमा करवा दी व उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में श्रीमती आसी देवी के नाम अमल दरामद करने के आदेश हुए लेकिन इसी दौरान उक्त राशि जो चार माह की अवधि में जमा नहीं हुई थी का इन्द्राज कैश बुक में जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.09.83 से इन्कार कर दिया। आसी देवी ने दिनांक 30.09.83 के विरूद्ध सैटलमैन्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 29.05.84 को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध चीफ सैटलमैण्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 23.09.85 को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त सभी आदेशों की चुनोती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधीपुर के समक्ष रिट याचिका सं0 2516/85 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका में दिनांक 4.8.95 को निर्णय पारित

राजस्व अपील अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुआ तथा श्रीमति आसीदेवी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 को बहाल रखा गया। प्रार्थीगण जो स्व0 आसीदेवी के वारिसान हैं ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला बनने एवं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम सन् 1954 निरस्त होने व अब राजस्थान सरकार के राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 6.10.2009 प्रभावशील होने पर आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 की पालना में राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.08.1983 को बहाल रखा गया है। हमने किश्तें जमा करवा दी थी हमारी खातेदारी जारी नहीं हुई थी राजस्व अभिलेख में अमलदारामद नहीं हुआ था जो एक सामान्य प्रक्रिया है तथा इसी प्रक्रिया अनुसार निष्क्रान्त भूमि के आवंटियों को भी खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यववाही सम्पादित की गई है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल स्पेशल अपील 891/1995 पेश की थी जो दिनांक 25.07.1997 को खारिज हो चुकी हैं इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि इसको सुना नही गया है, इसलिए वह एक प्रभावित पक्षकार नहीं है। उस निर्णय की पालना कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में साधारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था मगर अधीनस्थ न्यायालय में साईकलोस्टाईल आदेशिका में सहवन से 88 आरटीएक्ट अंकित अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज कर दिया है। यह एक तकनीकी मिस्टेक है इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त नही किया जा सकता है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी

8. **उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।**

9. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के निर्णय दिनांक 25.07.1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि होने के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थना–पत्र के शेष दस्तावेज की फोटो प्रति होने से अपील में ग्राह्य नही होने के कारण इन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक स्वीकार किया जाता है।

10. रेस्पोडेण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में आसी देवी पत्नी पालू के पास वाद में वर्णित चक 4 केएच.आर तहसील टिब्बी में कुल 4.556 भूमि हिन्दुस्तान पाकिस्तान बनने से पूर्व चला आ रहा था लेकिन उपरोक्त रकबा राष्ट्रपति भारत सरकार का घोषित कर दिया था। आसी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र –पुनर्वास विभाग, श्रीगंगानगर के समक्ष भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 08.07.1959 को पेश किया जिस पर जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.03.1983 को उपरोक्त रकबा आसी देवी को आवंटन करने का आदेश तथा आसी देवी द्वारा जमा करवा दी व उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में श्रीमती आसी देवी के नाम अमल दरामद करने के आदेश हुए लेकिन इसी दौरान उक्त राशि जो चार माह की अवधि में जमा नहीं हुई थी का इन्द्राज कैश बुक में जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.09.83 से इन्कार कर दिया। **आसी देवी ने जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.83 के विरूद्ध सैटलमैन्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 29.05.84 को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध चीफ सैटलमैण्ट कमिश्नर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 23.09.85**

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को खारिज हुई। श्रीमती आसीदेवी ने उक्त सभी आदेशों की चुनोती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिका सं0 2516/85 प्रस्तुत की। इस रिट याचिका में दिनांक 24.8.95 को निर्णय पारित हुआ तथा श्रीमति आसीदेवी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 को बहाल रखा गया। उपरोक्त 24.08.1995 के निर्णय का अपीलाण्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में डीबी स्पेशन (रिट) नं. 891/1995 दर्ज की। अपीलाण्ट की उक्त रिट को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया गया है। इन तथ्यों को देखते हुए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसमें किसी प्रकार की विधि त्रूटि नही है। जहां तक प्रार्थना–पत्र को धारा 88 आरटीएक्ट में ट्रीट किये जाने का प्रश्न है, रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना–पत्र धारा 88 आरटीएक्ट का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में धारा 88 आर0टी0एक्ट सहवन से अंकित कर दिया है जो एक लिपिकिय सहवन है। अपीलाण्ट की रिव्यु पीटिशन माननीय उच्च न्यायालय में खारिज की जा चुकी थी इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुने जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार नहीं है लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज किया जाता है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जिला बनने एवं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम सन् 1954 निरस्त होने व अब राजस्थान सरकार के राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 (15) राजस्व/पुनर्वास/2009

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जयपुर दिनांक 6.10.2009 प्रभावशील होने पर आवंटन आदेश दिनांक 23.3.83 की पालना में राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने का आवेदन दिया था जो स्वीकार किया गया जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट भी खारिज किये जाने योग्य है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं अपील अपीलाण्ट दोनों खारिज किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रामणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 18:23:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: